Ex.P.-466

कथन – राजेश बिन्दल

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	राजेश बिन्दल पिता गोविन्द राम बिन्दल
उम्र	–	47 वर्ष
पता	–	एल–09 विनोबा नगर, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	98271–10879
व्यवसाय	–	संचालक, जी.वी. एग्रो प्रोडक्ट, ग्राम किरारी, तहसील एवं पोस्ट मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ0ग0)

––00––

मैं राजेश बिन्दल पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं जी.वी. एग्रो प्रोडक्ट, ग्राम किरारी में स्थित राईस मिल का संचालक हूं। मेरे राईस मिल की क्षमता 04 टन प्रति घंटा की है। वर्ष 2013–14 में 1,12,000 क्विंटल करीबन धान के कस्टम मिलिंग का अनुबंध मार्कफेड के साथ हुआ था अनुबंध के विरूद्ध मेरे द्वारा 1,10,727.97 क्विंटल धान का उठाव किया गया गया, इसके विरूद्ध मेरे द्वारा 59337.08 क्विंटल चावल माह सितम्बर 2014 तक नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराया गया था, इस दौरान करीब 15–16 लॉट चावल रिजेक्ट हुआ था। वर्ष 2014–15 में अनुबंध 96 हजार क्विंटल धान का है। मेरे द्वारा माह दिसम्बर 2014 में 3503.45 क्विंटल, माह जनवरी 2015 में 7541.85 क्विंटल, फरवरी 2015 में 8092.10 क्विंटल एवं मार्च 2015 में 9155.15 क्विंटल चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराया गया है, इस दौरान करीब 4–5 लॉट चावल रिजेक्ट हुआ है। गोदाम में चावल अनलोडिंग तथा स्टेकिंग के लिये हमालों को 3300रू. प्रति लॉट की दर से उनके मुखिया को भुगतान किया जाता है। बिलासपुर के राईस मिलर्स 08रू. प्रति क्विंटल की दर से क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर को देते है। इसे कलेक्शन की रकम कहते है। अगर कलेक्शन की रकम न दी जावे तो हमें स्पेश की समस्या आती है एवं हमारे चावल के लॉट को अमानक बताकर फेल कर दिया जाता है। जिससे हमें ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग–अनलोडिंग आदि का नुकसान होता है जिसके कारण हम मजबूरी में कलेक्शन की रकम देते है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 08.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ